E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका संख्या : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95 / 2019...1553

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक :–03-06-2021

विषय :– सरकारी भूमि का सर्वे के दौरान रैयती खाता सृजित होने पर जाँचोपरांत यथोचित कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंग :– बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की संपन्न अष्ठम बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक– बि0वि0मि0–स्था0 (बैठक)–01 / 21 437 दिनांक– 13.05.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक कार्यवाही में निदेशित किया गया है कि पूर्व सर्वे की सरकारी भूमि का यदि नया सर्वे में किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया हो तो ऐसे भूमि की जाँच पश्चात् यथोचित कार्रवाई की जाय। इस आलोक में कहना है कि:–

1. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–11089 दिनांक–27.10.2020 एवं इससे पूर्व के अन्य कई पत्रों द्वारा बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम अंतर्गत प्रथम चरण के लिए सर्वेक्षण हेतु चयनित 20 जिलों यथा खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा के समाहर्त्ताओं को सरकारी भूमि के संरक्षण के संबंध में अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र में उल्लेखित किया गया था कि सर्वेक्षण के दौरान सरकारी भूमि की सूची अंचलाधिकारी एवं जिले के अन्य विभागों के नोडल पदाधिकारियों के माध्यम से जिला बन्दोबस्त कार्यालय / संबंधित विशेष सर्वेक्षण शिविर के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया था कि अंचलाधिकारी एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी, जिला बन्दोबस्त कार्यालय / विशेष सर्वेक्षण शिविर के सतत् संपर्क में रहकर सरकार का हित अक्षुण्ण रखेंगे।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 अंतर्गत खेसरा पंजी निर्माण से लेकर अंतिम अधिकार–अभिलेख, प्रकाशन तथा इसके पश्चात् भी प्रत्येक प्रक्रम में यदि सरकारी भूमि का खाता व्यक्ति विशेष के नाम खुल जाय तो इन मामलों में अंचलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपील किये जाने का प्रावधान है।

3. सरकारी भूमि के संरक्षण एवं अनुरक्षण के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 247 दिनांक– 20.03.2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी अपेक्षित है।

4. जिन जिलों में रिविजनल सर्वे के दौरान गत् सर्वेक्षण के सरकारी भूमि का खाता किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गया हो तो ऐसे मामले में बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (यथा संशोधित) की धारा–109(क) के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा।

5. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्र संख्या–17–तक0 को0 (जमाबंदी)–352/2015 1607 दिनांक–24.09.2019 द्वारा सरकारी भूमि की अवैध रूप से सृजित जमाबंदी का रद्द करने के संबंध में निदेश निर्गत किया गया था।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि सरकारी भूमि के संरक्षण के संदर्भ में यथोचित कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक 2/6/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019.1553 **पटना, दिनांक** :03-06-2021

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चम्पारण, बांका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019.1553 **पटना, दिनांक** :03-06-2021

प्रतिलिपिः– सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019.1553 **पटना, दिनांक** :03-06-2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 2/6/21